राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
[वित्त (व्यय–5) अनुभाग]

क्रमांकः–एसएफसी/लंपी/वित्त/व्यय–5/2022 दिनांकः–13.09.2022

आदेश

विषय–पशुओं में फैली लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के क्रम में।

वर्तमान में गौवंशीय पशुओं में लम्पी स्किन डिजीज फैली हुई है जिसके नियंत्रण एवं प्रभावी रोकथाम के लिये दवाओं की व्यवस्था, गौशालाओं व पशुगृहों की नियमित साफ सफाई, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से पृथक रखना, पशु चिकित्सकों से ईलाज कराना आदि के साथ साथ मृत पशुओं का सही तरीके से निस्तारण किया जाना भी नितांत आवश्यक है। अर्थात् मृत पशुओं को बिल्कुल खुले स्थान में निस्तारित करने के बजाय उन्हें जमीन के अंदर दफ़नाने की व्यवस्था किया जाना बेहद जरूरी है। मृत पशुओं को सही तरीके से दफ़नाने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

इस क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि पष्ठम् राज्य वित्त आयोग, राजस्थान की सिफारिश अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को देय अनुदान के उपयोग हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक एफ 165(07)परावि/एसएफसी/षष्ठम्/दिशा निर्देश/2021–22/100 दिनांक 25.01.2022 के बिंदु संख्या– (अ) के उप–बिंदु 2., 3(i), 3(iv), 3(xviii), एवं बिंदु संख्या–(ब) के उप –बिंदु 5 अनुसार साफ–सफाई / स्वच्छता के लिये एसएफसी अनुदान से ग्राम पंचायतों धनराशि व्यय बाबत अनुमत किया गया है। अतः मृत पशुओं के सही एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण एवं अन्य आवश्यक सेनीटेशन गतिविधियों बाबत आवश्यक धनराशि एसएफसी मद से व्यय की जा सकती है।

बीमार पशुओं को समय पर ईलाज सुनिश्चित करने तथा अन्य कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर दर निर्धारण आदि के लिये जिला कलक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाता हैः–

1. जिला कलक्टर (संबंधित)	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (संबंधित)	सदस्य
3. जिला कोषाधिकारी (संबंधित)	सदस्य
4. जिला अधिकारी, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
5. जिला स्तर पर शहरी स्थानीय निकाय का अधिकारी	सदस्य

Scanned with CamScanner

उक्त समिति द्वारा जिला स्तर पर रोग के नियंत्रण, रोकथाम हेतु आवश्यक दवाओं, मृत पशुओं को जमीन में दफ्नाने अथवा अन्य वैज्ञानिक विधि से निस्तारण, दवाओं के किट बनाने व उनकी दर का निर्धारण, अनुश्रवण आदि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त रोग के प्रति आमजन में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिये आवश्यक प्रचार प्रसार कार्य भी शहरी स्वायत्तशाषी / पंचायत राज संस्थानों के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

Sd.

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
9. समस्त आयुक्त नगर निगम/नगर परिषद।
10. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका।

शासन सचिव
वित्त (व्यय) विभाग

Scanned with CamScanner